



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

पेंशन अदालत-2020

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) का कार्यालय झारखण्ड, रांची से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु इस कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पेंशन अदालत-2020 का आयोजन दिनांक 29.12.2020 मंगलवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 अपराह्न बजे तक किया जायेगा।

इस कार्यालय के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शिकायतें, यदि कोई हो तो, नीचे दिये गए वर्णित जानकारी email address - agaejharkhand@cag.gov.in अथवा नीचे दिए गए प्रपत्र में स्थापना-1 में दिनांक 28.12.2020 तक निष्पादन हेतु भेज सकते हैं।

टिप्पणी : केवल प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) का कार्यालय झारखण्ड, रांची से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ही इस पेंशन अदालत 2020 में भाग ले सकते हैं।

विषय - पेंशन अदालत 2020

क्र० सं०	विषय	पेंशनर द्वारा भरे जाने वाले विवरण
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय)	
2.	सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख	
3.	पी०पी० ओ० संख्या	
4.	पत्राचार का पता	
5.	Whatsapp No.	
6.	शिकायत का विवरण	
7.	दिनांक सहित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर	

कृपया ई मेल करते समय Subject : Pension Adalat 2020 अवश्य लिखें।

दिनांक 22-12-2020

उप महालेखाकार(प्रशासन)